

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

1/19

तारीखरजु:- 25.2.19

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- पपीता बनाम हररूप वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 4 धारा 151 जा० दी०

फर्द अहकाम

दिनांक
11.9.18

प्रार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 4 धारा 151 जा० दी० वसिलसिले आदेश दिनांक 10.5.18 को पारित निर्णय मु०न० 24/2015 उनवान पपीता देवी बनाम हररूप वगै० के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया जाकर मूल पत्रावली के साथ सलग्न कर पत्रावली दिनांक 13.03.2019 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

13.3.19

प्रार्थी वकील उप० अर्जर्घीगण की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv ने उपलिप्त दर्ज करार / P.O. का अग्रण पत्र पधार छे बास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 1-4-19 को पेश हो।

प्रतिभागी
अग्रिम पत्र
13.3.19

14.4.19

वकुलाय उप० प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कले बास्ते मौका चाहा दिया गया। जबाब पेश कले दिनांक 22.4.19 को पेश हो।

22.4.19

वकुलाय उप० तालानुसार जबाब पेश कले दिनांक 4-6.19 को पेश हो।






अग्रिम पत्र
22.4.19

4.6.19

वकुलाय उप० अर्जर्घी नम्बर 1, 4, 6, 7 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv ने वकालतनामा पेश किया। शेष अर्जर्घी के दा तालवारा नोटिस पेश कले वकील को पेश हो। तालवी व जबाब बास्ते दि० 21-6-19 को पेश हो।



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
21.6.19	वकुलाय उप.) गताबुसार तत्पवी व जबाब वाले दिनांक 22.7.19 को पेश है। 
22.7.19	वकुलाय उप.) प्रथी वकील ने नोटिस तलबना पेश किया। तत्पवी जारी कर/शेष का जबाब पेश है। आर्डर दिनांक 20.8.19 को पेश है। 
28.8-56 22-7-19	
20.8.19	वकुलाय उप.) अपार्षी नं. 2, 3, 5, 8 से 15 का प्रजुद सूचना उपस्थित नहीं है। उनके विक्रड एक पक्षीय कामबिही की जाती है। जबाब अपार्षी नं. 1, 4, 6, 7 का पेश करने समय चाहा। समय दिया गया। जबाब पेश करने दिनांक 9-9-19 को पेश है। 
9.9.19	वकुलाय उप.) अपार्षी वकील ने जबाब पेशना बरस करने का कपन किया। P.O. सा. डाकबाख पर पधार है। वास्ते जबाब व बरस दि. 23.9.19 को पेश है।
23.9.19	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी कार्यालय है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 4-10-19 को पेश है। 
4.10.19	वकील अभय पस उपस्थित। अपार्षी वकील ने जबाब पेश नहीं कर लीये बरस में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की सहमति प्रकट की। अतः प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 8 जासा दिवारी स्वीकार किया जाता है। दाया पुनः मखर पर लिये जाने के आदेश दिये गते है। पत्रावली फंसल शुभ। होकर मखर से कम होकर दाया पत्रावली के निध मिलान रहे। 

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)